रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2049] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 2010/आश्विन 12, 1932
No. 2049] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2010/ASVINA 12, 1932

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2409(अ).— केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 और धारा 5 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.1621 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"7	अध्यक्ष, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा ।	-	सदस्य";

(ii) क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"8	अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा ।	-	सदस्य" ;

(iii) क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"9 अध्यक्ष, - सदस्य" ;
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुंबई ।

(iv) क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"10 महापौर, - सदस्य" ;
इलाहाबाद नगर निगम,
इलाहाबाद ।

(v) क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"11 अध्यक्ष, - सदस्य" ;
तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
चेन्नई ।

(vi) क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"13 सुश्री सीमा अरोड़ा, - सदस्य" ;
सी-II ,23, इंस्टीटयूश्नल एरिया,
लोदी रोड, नई दिल्ली ।

(vii) क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"15 डा0 (सुश्री) मीनाक्षी कक्कड़, - सदस्य" ;
डीजीएम, पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग,
सेल, लोदी रोड, नई दिल्ली ।

IndiaCode

(viii) क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"16 श्री जीबन महापात्र, - सदस्य" ;
मुख्य प्रबंधक (पर्यावरण)
नालको, भुवनेश्वर ।

[फा. सं. क्यू-15014/21/2009-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, में संख्यांक सा.का.नि.998(अ) तारीख 21.09.1974 द्वारा प्रकाशित की गई । विद्यमान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन करने वाली अधिसूचनाऐं भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ.1621(अ), तारीख 27 सितंबर, 2006 संख्यांक का.आ.859(अ) तारीख 01 जून 2007, का.आ.651(अ) तारीख 9 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई और पश्चातवर्ती संशोधन संख्यांक का.आ.2942(अ) तारीख 18 नवंबर, 2009 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2010

S.O. 2409(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and sub-section (6) of section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1621(E), dated the 27th September, 2006, namely:-

In the said notification,

(i) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"7. Chairman, - Member";
Haryana Pollution Control Board,
Haryana.

(ii) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"8. Chairman, - Member";
Bihar Pollution Control Board,
Bihar.

(iii) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"9. Chairman, - Member";
Maharashtra State Pollution Control Board,
Mumbai.

(iv) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"10. Mayor, - Member";
Allahabad Nagar Nigam,
Allahabad.

(v) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"11. Chairman, - Member";
Tamil Nadu State Pollution Control Board,
Chennai.

(vi) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"13. Ms. Seema Arora, -Member";
CII, 23, Institutional Area,
Lodi Road, New Delhi.

(vii) for serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"15. Dr. (Ms.) Meenakashi Kakkar, -Member";
DGM, Environment Management Division,
SAIL, Lodhi Road, New Delhi.

(viii) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"16. Shri Jiban Mahapatra, -Member";
Chief Manager (Environment),
NALCO, Bhubneshwar.

[F. No. Q-15014/21/2009-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

IndiaCode

Note : The principal notification constituting the Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India vide number GSR 998, (E), dated 21.09.1974. the notifications reconstituting the existing Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O.1621(E), dated the 27th September, 2006, vide number S.O.859(E), dated the 1st June, 2007 vide number S.O. 651(E), dated the 9th March 2009 and subsequently amended vide number S.O.2942(E), dated the 18th November, 2009.

IndiaCode

3864 GI/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.